प्रेस विज्ञप्ति

16.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने 11.12.2025 को मुजफ्फरपुर, बिहार में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा से बैंक खातों से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने के मामले में मुजफ्फरपुर में 4 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन तलाशी के दौरान कई अपराध संकेती सामग्री और दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया है।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा नगर पुलिस स्टेशन, मुजफ्फरपुर में भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो पीएमएलए, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं। इस मामले में जांच से एक जटिल बैंकिंग धोखाधड़ी और धन शोधन योजना का खुलासा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), जवाहरलाल मार्ग शाखा, मुजफ्फरपुर में स्थित दो पीड़ितों के बचत खातों से क्रमशः 1.07 करोड़ रुपये (लगभग) और 22.40 लाख रुपये (लगभग) के साथ कुल 1.29 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी से निकासी की गई।

यह फ्रॉड सिम कार्ड स्वैपिंग और ऑनलाइन बैंकिंग में हेरफेर वाले एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया गया था। पीड़ितों के मोबाइल नंबर, जो बैंक में एसएमएस अलर्ट और ऑनलाइन बैंकिंग ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्टर्ड थे, अपराधियों ने नकली पहचान के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से बदल लिए थे। जिस समय अपराधियों के पास डुप्लीकेट सिम कार्ड का कंट्रोल था, उन्होंने पीएनबी के टोल-फ्री सर्विस नंबर पर मैसेज भेजकर पीड़ितों के खातों पर इंटरनेट बैंकिंग सेवा सक्रिय कर दी। फिर उन खातों से बड़ी रकम अंतरित की गई और कई परतों से रूट की गई और आखिर में ऐसे फंड का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता के एटीएम से नकद में निकाला गया और फिर सीडीएम से अपराधियों के अलग-अलग बैंक खातों में जमा कर दिया गया।

तलाशी के दौरान अपराध संकेती सामग्री व दस्तावेज बरामद करके जब्त किए गए। इसके अलावा अपराधियों के बैंक खातों में मौजूद लगभग 83 लाख रुपये की धनराशि का पता चला और उसे फ्रीज कर दिया गया है।

आगे की जांच चल रही है।